

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-27/2015-60(आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 06-07-2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय :

C.W.J.C No. 8302/2002 एवं समविषयक वाद में पारित न्यायादेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर LPA एवं SLP माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज होने के बाद C.W.J.C No. 3900/1999 एवं अन्य समविषयक वाद में पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के अधीनस्थ संस्थानों के लिपिक, लिपिक सह टंकक /टंकक सह लिपिक को विश्वविद्यालय मुख्यालय के सहायक के समान 01.03.1982, 01.04.1983, 01.01.1986, 01.01.1996 तथा 01.01.2006 से पूर्व में वादियों को स्वीकृत वेतनमान/वेतन संरचना के अतिरिक्त वादियों के सदृश अन्य कर्मियों को वेतनमान/वेतनमान संरचना की स्वीकृति तथा इसके फलस्वरूप कुल रु० 3,94,70,685/- (तीन करोड़ चौरानवे लाख सत्तर हजार छः सौ पच्चासी रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर भागलपुर के लिए ₹2,30,90,453 (दो करोड़ तीस लाख नब्बे हजार चार सौ तिरपन रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-3123 दिनांक-24.06.2015 द्वारा C.W.J.C No. 8302/2002 एवं समविषयक वाद में पारित न्यायादेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर LPA एवं SLP माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज होने के बाद C.W.J.C No. 3900/1999 एवं अन्य समविषयक वाद में पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के अधीनस्थ संस्थानों के लिपिक, लिपिक सह टंकक /टंकक सह लिपिक को विश्वविद्यालय मुख्यालय के सहायक के समान 01.03.1982, 01.04.1983, 01.01.1986, 01.01.1996 तथा 01.01.2006 से पूर्व में वादियों को स्वीकृत वेतनमान/वेतन संरचना के अतिरिक्त वादियों के सदृश अन्य कर्मियों को वेतनमान/वेतनमान संरचना की स्वीकृति तथा इसके फलस्वरूप कुल रु० 3,94,70,685/- (तीन करोड़ चौरानवे लाख सत्तर हजार छः सौ पच्चासी रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर भागलपुर को ₹2,30,90,453 (दो करोड़ तीस लाख नब्बे हजार चार सौ तिरपन रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹2,30,90,453 (दो करोड़ तीस लाख नब्बे हजार चार सौ तिरपन रु०) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-277-शिक्षा-मांग सं०-01-उपशीर्ष-0008-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर भागलपुर, विपत्र कोड-N2415012770008, के अंतर्गत विषयशीर्ष-31 04-सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि ₹94,87,50,000 (चौरानवे करोड़ सतासी लाख पचास हजार रु०) मात्र से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।



विश्वासभाजन



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

60(आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 06-07-2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

60(आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 06-07-2015

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।